# <u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 03/2021 (अपील नामा)
GCMS No. 2021/24

***अनवान***

1. श्री गुजरा पता मीना गमेती, निवासी—माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री कालिया पिता मीना गमेती, निवासी—माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
3. श्री सवजी पिता मीना गमेती, निवासी—माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
4. श्री रमेश पिता मीना गमेती, निवासी—माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
5. श्री जेठा पिता मीना गमेती, निवासी—माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
6. श्री सिका पिता मीना गमेती, निवासी—माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
7. श्रीमती वरजू पत्नी मीना गमेती, निवासी—माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट्स

***बनाम***

1. श्री बदा पिता मोती गमेती, निवासी—बूमरियाफला, माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्री प्रभु पिता मोती गमेती, निवासी—बूमरियाफला, माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
3. श्री अजबूल पिता मोती गमेती, निवासी—बूमरियाफला, माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती शान्ता पत्नी मोती गमेती, निवासी—बूमरियाफला, माहड़ी, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार कोटड़ा, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

***उपस्थित***

1. श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता।

***<u>अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>***
***<u>अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 566 तहसीलदार कोटड़ा, आदेश दिनांक 20. 01.2007</u>***

*** <u>निर्णय</u> ***

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:49 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक— 17-02-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 566

दिनांक 20.01.2007 तहसीलदार कोटड़ा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम महाड़ी, मण्डवाल, पटवार हल्का महाड़ी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोटड़ा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर मे जमाबंदी संख्या 164 मे अंकित आराजी नंबर 3426/1640 रकबा छः बीघा 15 बिस्वा, किस्म मगरी व आराजी नंबर 3430/1640 रकबा 5 बीघा, किस्म मगरी कुल किता 2 रकबा ग्यारह बीघा 15 बिस्वा अपीलान्ट्स के आधिपत्य मे होकर कब्जे काश्त चली आ रही है तथा आज भी अपीलान्ट्स अपने दादा के समय कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। राजस्व ग्राम महाड़ी, तहसील कोटड़ा मे मोती पिता काला नाम के दो आदमी रहते थे। अपीलान्ट्स के दादा मोती पिता काला के पुत्र मीना के अपीलान्ट्स वारिस हैं। मोती पिता काला के नाम का एक अन्य व्यक्ति भी गांव मे था, जिनके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 हैं। उक्त दोनो व्यक्तियों के खाते भी अलग अलग थे लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पिता मोती पिता काला की मृत्यु सन् 2006 मे हो गयी थी, जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने ग्राम पंचायत महाड़ी से उनके पिता मृतक मोती पिता काला के वारिसान की तस्दीक लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 के पास प्रार्थना पत्र पेश किया जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा विरासत से नामान्तरकरण संख्या 566 दिनांक 20.01.2007 स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट्स के दादा श्री मोती पिता काला की मृत्यु 20.01.2015 को हुई तथा ढाई माह बाद अपीलान्ट्स के पिता मीना पिता मोती की मृत्यु दिनांक 30.03.2015 को हो गई। अपीलान्ट्स द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क कर उनके दादा की भूमि का नामान्तरकरण स्वयं के नाम दर्ज कराये जाने हेतु सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि गांव महाड़ी के ही निवासी मोती पिता काला जिसकी मृत्यु सन् 2006 में हो गई तथा उनके वारिसान जो कि अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 है उनके नाम पर नामान्तरकरण दिनांक 20.01.2007 को स्वीकृत किया जिसमें अपीलान्ट्स के दादा के नाम की जमीन आराजी संख्या आराजी नंबर 3426/1640 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, किस्म मगरी व आराजी नंबर 3430/1640 रकबा 5 बीघा, किस्म मगरी कुल किता 2 रकबा ग्यारह बीघा 15 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम पर अंकित हो गई। जबकि उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट्स द्वारा ही काश्त की जा रही हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 566 दिनांक 20.01.2007 मे आंशिक संशोधन किया जाकर अपीलान्ट्स की आराजी संख्या 3426/1640 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 3430/1645 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा को रेस्पोडेन्ट्स के खाते से हटाया जाकर अपीलान्ट्स के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हामिद हुसैन कुरेशी द्वारा वकालातपत्र प्रस्तुत किया एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:49 IST
Reason: SelfAttested

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रकरण मे अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस प्रांरभ करते हुए अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने अपनी अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अनुरोध किया कि तहसीलदार कोटड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 566 दिनांक 20.01.2007 त्रुटिपूर्ण खोला गया है। नामान्तरकरण संख्या 566 मे वर्णित 3426／1640 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 3430／1645 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा मे अंकित भूमि मे मृतक मोती पिता काला के अपीलान्ट्स ही विधिक वारिस है, किन्तु समान नाम हो जाने से 3426／1640 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 3430／1645 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा की भूमि अन्य आराजीयात के साथ साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नाम नामान्तरकरण संख्या 566 मे त्रुटिपूर्ण दर्ज हुई है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट्स के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न करते हुए यह भी निवेदन किया कि उनके दादा का निधन दिनांक 20.01.2015 को हुआ है, जबकि कथित नामान्तरकरण 20.01.2007 को मृत्यु से पूर्व ही खोल दिया गया हैं। उक्त नामान्तरकरण मे भी अपीलान्ट्स की भूमि मात्र 3426／1640 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 3430／1645 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा ही हैं एवं वहीं भूमि अपीलान्ट्स अपने नाम दर्ज कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर कथित नामान्तरकरण मे आंशिक संशोधन कर अपीलान्ट्स की भूमि पुनः अपीलान्ट्स के नाम दर्ज करायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अनुरोध किया कि राजस्व ग्राम महाड़ी, पटवार हल्का महाड़ी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोटड़ा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर के नामान्तरकरण संख्या 566 दिनांक 20.01.2007 मोती पिता काला गमेती की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसों के पक्ष मे खोला जाना अवगत कराया।

प्रकरण मे अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक को सुना गया। पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण की प्रति एवं अन्य दस्तावेज आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। नामान्तरकरण संख्या 566 दिनांक 20.01.2007 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम महाड़ी, पटवार हल्का महाड़ी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोटड़ा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर के आराजी संख्या 3426／1640 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 3430／1645 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा मे अंकित खातेदार मोती पिता काला की मृत्यु के उपरान्त तहसील[illegible] कथित नामान्तरकरण पारित किया हैं। प्रकरण मे विवाद सम्पूर्ण ना[illegible]करण का [illegible]कर उक्त नामान्तरकरण मे अंकित 3426／1640 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी संख्या 3430／1645 रकबा 5 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:49 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 2 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा का हैं, जिसे अपीलान्ट्स द्वारा उनके दादा की होना अवगत कराया गया हैं। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत उनके दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार उनके दादा का स्वर्गवास 20.01.2015 को होना पाया गया है, किन्तु कथित नामान्तरकरण 20.01.2007 को मृत्यु से पूर्व ही खोला जाना परिलक्षित होता हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण होना परिलक्षित होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 566 दिनांक 20.01.2007 मृतक का समान नाम होने से पुनः जांच किये जाने योग्य पाया जाता है एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः जांच उपरान्त नवीन सिरे से खोले जाने हेतु तहसीलदार को प्रति प्रेषित करना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर राजस्व ग्राम महाड़ी, पटवार हल्का महाड़ी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोटड़ा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 566 दिनांक 20.01.2007 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार कोटड़ा को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को ध्यान मे रखते हुए उभय पक्ष को सुन कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, मृतक के विधिक वारिसान की नियमानुसार जांच कर नामान्तरकरण के संबध मे विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

**(ओ.पी.बुनकर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:35:49 IST
Reason: SelfAttested